OSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 25, Issue 1, Series 1 (January. 2020) 93-96
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का घोषणा पत्रः कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर बीसवीं सदी में भारत के महान चिंतकों में से एक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इस देश के दलितों, शोषितों एवं वंचितों के सर्वांगीण विकास में लगा दिया। भारत के दलितों शोषितों के अधिकारों के लिए डॉ0 अम्बेडकर ने विभिन्न आयोगों एवं समितियों के समक्ष प्रस्तुत होकर अनेक मांगपत्र प्रत्यावेदन दिए, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अधिकारविहीन दलितों की मांगों पर वृहद चर्चा की गई और इस हेतु गोलमेज सम्मेलन की तीन बैठकों का आयोजन किया गया। पहला सत्र नबम्बर 12, 1930 से जनवरी 19, 1931, दूसरा सत्र सितम्बर से दिसम्बर, 1931 एवं तीसरा सत्र नबम्बर, 17 से दिसम्बर 27, 1932 की समयावधि में सम्पन्न हुई। इन तीनों ही सत्रों में डॉ0 अम्बेडकर दलितों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे और दलितों की समस्याओं हेतु विस्तृत समाधान प्रस्तुत किए। फलस्वरूप दलितों के राजनीतिक अधिकार स्वीकार किए गये जिसकी घोषणा 17 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रेमजे मैक्डोनाल्ड द्वारा 'कम्युनल अवार्ड' के रूप में की गई। यह कम्युनल अवार्ड इस प्रकार था–

''ब्रिटिश सरकार का 1932 का साम्प्रदायिक निर्णय''

1. गोलमेज सभा के द्वितीय सत्र समाप्त होने के पश्चात प्रधानमन्त्री ने 1 दिसम्बर 1931 को जो व्याख्यान दिया और जिसका समर्थन संसद के दोनों सदनों ने किया था। उसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि यदि भारत के सभी समुदाय साम्प्रदायिक प्रश्न पर किसी सर्वमान्य समझौते पर नहीं पहुँचते, जैसा कि वे गोलमेज सभा में असफल हुए थे तब ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया था कि भारत के संविधान का उद्देश्य केवल उन असफलताओं के कारण निरर्थक न बना दिया जाये और सामयिक योजना लागू कर उस रोड़े को समाप्त किया जाये।
2. पिछली 19 मार्च को ब्रिटिश सरकार को सूचना मिली थी कि नये संविधान का निर्माण करने की योजना में समुदायों द्वारा किसी समझौते पर न पहुँचने के कारण प्रगति रुक गई है और वे लोग विवादग्रस्त प्रश्नों का परीक्षण करने में व्यस्त थे अब उनकी सिफारिश है कि नये संविधान के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों की समस्याओं के कम से कम कुछ पहलुओं पर फैसला लिये बिना नये संविधान के निर्माण में आगे कोई प्रगति नहीं की जा सकती।
3. तदनुसार ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया है कि संसद में प्रस्तुत करने से पहले भारतीय संविधान से सम्बन्धित प्रस्तावों की योजना को मूर्त रूप देने के लिये प्राविधान किया जाना शामिल किया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य ब्रिटिश इंडिया की प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाओं में उन सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना होगा। योजना के उद्देश्य को सीमित करने के निर्णय का अर्थ यह नहीं कि हम यह समझने में असफल रहे हैं कि संविधान का निर्माण करते समय अल्पसंख्यकों की असंख्य महत्वपूर्ण समस्यायें उठ खड़ी होंगी वरन् इस आशा से ऐसा किया जा रहा है कि समुदायों के प्रतिनिधित्व के अनुपात और ढंग तथा मूल प्रश्नों पर एक बार घोषणा हो जाने पर वे समुदाय स्वयं अन्य साम्प्रदायिक समस्याओं का हल निकाल सकेंगे।
4. ब्रिटिश सरकार स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि 'यह भली भांति समझ लिया जाय कि भारतीय समुदायों के किसी समझौते का वह भागीदार नहीं बनेगी। ब्रिटिश सरकार किसी ऐसे प्रत्यावेदन पर विचार नहीं करेगी जिस पर सभी प्रभावित दलों का समर्थन न प्राप्त किया गया हो। सरकार उनके सर्वसम्मत के समझौते के लिये दरवाजे खुले रखेगी। इसलिये गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट को कानून बनने से पहले यदि वे कार्यान्वयन योग्य किसी अन्य योजना पर सम्बन्धित समुदायों में पारस्परिक समझौता हो जाता है वह चाहे किसी एक या अधिक प्रान्तों अथवा पूरे ब्रिटिश भारत के लिए हो तो उन सुझावों का प्राविधान करने के लिए संसद को सिफारिश की जायेगी।

5. × × × ×
6. × × × ×
7. × × × ×
8. × × × ×

9. दलित वर्गों के वे सदस्य जो मतदान करने के लिये सुयोग्य हैं सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। यह वास्तव में इस विचार से कि उन जातियों का यह प्राविधान निश्चित समय तक के लिए हो कि उन्हें विधायिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके इसके लिये विशेष संख्या में सीटें सुरक्षित की जायंगी जैसा कि तालिका में दिखलाया गया है। ये सीटें उन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में केवल दलितों द्वारा चुने गये दलित उम्मीदवारों से ही भरी जायेगी।

कोई भी मतदाता जो विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करेगा वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान कर सकेगा। ये विशेष निर्वाचन क्षेत्र उन चुने हुए इलाकों में बनाये जायेंगे जहाँ दलित वर्गों की आबादी अधिक होगी परन्तु मद्रास को छोड़कर। परन्तु वे विशेष निर्वाचन क्षेत्र पूरे प्रान्त के क्षेत्र में नहीं छा जायंगे। बंगाल में ऐसा करना सम्भव है जहाँ पर सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गीय मतदाताओं की संख्या अधिक है। तदनुसार जब तक इस विषय में जांच रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक बंगाल में दलित वर्गों के विशेष निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निश्चित करना सम्भव नहीं है। ऐसा विचार है कि बंगाल विधान सभा में दलित वर्गों के लिये दस से कम संख्या नहीं होनी चाहिये। सभी प्रांतों में विशेष दलित वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों में कौन से लोग और मतदान करने के लिए सुयोग्य होंगे अभी इसे अन्तिम रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह फ्रेंचाइज कमेटी रिपोर्ट के सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित नियमों के अनुसार होगा। तब भी उत्तर भारत के कुछ प्रान्तों में जहाँ पर सामान्य रूप से अस्पृश्यता के कारण उपरोक्त परिभाषा अनुपयुक्त होगी उस पर परिभाषा में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो जायगा। ब्रिटिश सरकार समझती है कि उन दलित वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकता सीमित समय तक हो रहेगी।''[1]

गांधी जी ने इस 'कम्युनल अवार्ड' का घोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को 'आमरण अनशन' की धमकी दी और कहा, ''इस नवीन व्यवस्था के बदले तो अच्छा होगा हिन्दू धर्म ही निर्मूल हो जाय। सदियों से अस्पृथ्यता की घृणित प्रथा चल रही है जो देश व समाज के लिए कलंक थी। अब बीसवीं सदी में उन्नत राजनीति में इस कुरीति को स्थायी स्वरूप देना भीषण भूल होगी।''[2]

गांधी जी द्वारा यरवदा जेल से आमरण अनशन की धमकी से समस्त भारत में चिन्ता की लहर दौड़ गई तथा हिन्दुओं के वरिष्ठ नेतागण यथा पं0 मालवीय, डा० राजेन्द्रप्रसाद, ठक्कर वापा, सर चिमनलाल, सीतलवाड् आदि ने डा० अम्बेडकर के साथ इस संकट पर बातचीत के लिए 19 सितम्बर को एक बम्बई में सभा बुलाई। इस सभा में सभी नेताओं ने डा० अम्बेडकर से आग्रह किया कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। डा० अम्बेडकर ने सभी नेताओं से कहा कि वे गांधी जी के विकल्प को जानने का प्रयास करें ताकि ठोस विचार हो सके। लेकिन डा० अम्बेडकर ने यह स्पष्ट कहा कि ''एक बात निश्चित है गांधी जी का जीवन बचाने के लिए, मैं दलितों के हितों के विरुद्ध किसी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं होऊँगा।''[3]

गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग थे तथा कोई भी अनुकूल समाधान नहीं निकलने पर अन्ततः 20 सितम्बर, 1932 को यरवदा जेल में अनेक आशंकाओं के बीच आमरण अनशन पर बैठ गये। 21 सितम्बर, 1932 को जयकर, सप्रू, बिड़ला, राजगोपालाचारी और राजेन्द्र प्रसाद ने गांधी जी से यरवदा जेल के कार्यालय में प्रातः काल में भेंट की। सप्रू ने उसी दिन दोपहर में डा० अम्बेडकर को पूना आने के लिए सूचित किया। डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा राजगोपालाचारी के साथ गांधी जी ने विचार विमर्श किया। गांधी जी ने कहा कि अस्पृश्य वर्ग की सभी सीटों को चुनाव की संयुक्त निर्वाचन पद्धति लागू की जाय। डा० अम्बेडकर को इस बात का संदेश दिया गया, तो उन्होंने कहा ''मेरे सम्मुख जब तक दूसरी योजना नहीं आ जाती, तब तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये अलग मतदाता संघ का त्याग करने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। हाथ को छोड़कर मृग जल के पीछे जाने का कोई अर्थ नहीं।''[4] 22 सितम्बर 1932 की शाम जयकर, बिड़ला, चुन्नीलाल मेथा और राजगोपालाचारी के साथ डा० अम्बेडकर गांधी जी से मिलने गये। गांधी जी आम के पेड़ की छाया के नीचे खाट पर बैठे हुए थे, उनके पास सरदार पटेल तथा सरोजनी नायडू भी मौजूद थे। इस शान्तिपूर्ण निःशब्द वातावरण में डा० अम्बेडकर ने कहा ''महात्मा जी, आप हम पर बड़ा ही अन्याय करते आ रहे हैं। यह मेरी तकदीर है कि, मैं अन्यायी दिखाई पड़ूँ, इस तरह की नौबत मुझ पर हमेशा आती है। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं।''[5]इस पर गांधी जी ने कहा ''आपकी बात पर मेरी पूरी सहानुभूति है। डॉक्टर आप जो कहते हैं उनमें से बहुत सी बातों से मैं आपसे सहमत हूँ। परन्तु आप ने कहा था कि, मेरे जिन्दा रहने का आपको भी कुछ उपयोग है?''[6] डा० अम्बेडकर भी गांधी जी से आशा करते थे कि यदि गांधी जी ने अपनी जिन्दगी अस्पृश्य वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित की, तो वे हमारे वीर पुरूष बन जायेंगे। गांधी जी ने डा० अम्बेडकर से अपने प्राणों को बचाने के आग्रह के साथ हिन्दू समाज की फूट को टालने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी कहा। गांधी जी ने कहा ''ठीक है, मेरे प्राण कैसे बचाए जाएँ, यह तो आप जानते हैं। अतः आप उसके अनुसार मेरे प्राण बचाए। मैं जानता हूँ कि जातीय निर्णय के अनुसार आपके लोगों को प्राप्त हुए अधिकार आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आपके द्वारा सुझाई गई 'पैनल' की पद्धति मैं स्वीकार करता हूँ। परन्तु मेरी यह बात आप स्वीकार करें कि आपकी वह पैनल पद्धति आपकी सभी सीटों आरक्षित सीटों पर लागू की जाए। आप जन्म से अस्पृश्य हैं, मैं हृदय से। हम सब एक है, अभंग, अविभाज्य हैं। हिन्दू समाज में होने वाली इस फूट को टालने के लिए मैं अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार हूँ।''[7] डा० अम्बेडकर ने गांधी जी का यह संदेश गंभीरतापूर्वक समझा तथा इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। पैनल पद्धति में कितने उम्मीदवार हो, प्रत्येक प्रान्त में अस्पृश्यों को कितनी सीटें दी जायें, प्राथमिक चुनाव की पद्धति कितने वर्षों तक जारी रखी जाय, आरक्षित सीटों की सुविधा कितने वर्षों तक जारी रखी जाय आदि प्रश्नों पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया।

डा० अम्बेडकर ने प्रान्तीय विधानसभाओं में 197 सीटों की मांग की, लेकिन विपक्षियों ने 126 सीटों पर ही सन्तुष्ट रहने के लिए कहा। कई घंटो के विचार विमर्श के पश्चात भी कोई सर्वमान्य हल नहीं निकला, तब गांधी जी से सलाह ली गई। गांधी जी ने डा0 अम्बेडकर के बहुत से मुद्दे स्वीकार किये। गंभीर प्रश्न यह था कि अस्पृश्यों को आरक्षित सीटों की पद्धति कितने वर्षों तक जारी रखी जाय। गांधी जी के पक्षधरों का मानना था कि आरक्षित सीटें और अलग अस्तित्व पर यदि अस्पृश्यों के मत का पालन करेंगे तो ये बातें स्थायी स्वरूप ग्रहण कर लेंगी। डा० अम्बेडकर दस वर्षों बाद आरक्षित सीटों के प्रश्न पर अस्पृश्यों की सर्वसम्मति के पक्षधर थे, जिस पर गांधी जी एवं उनके अनुयायी

सहमत नहीं थे। इस 'सर्वसम्मति' की समस्या पर गांधी जी एवं उनके अनुयायी चाहते थे कि सर्वसम्मति पाँच वर्षों के बाद ली जाय। इस विवाद पर काफी समय तक विचार–विमर्श होता रहा। इसी दौरान गांधी जी का स्वास्थ्य काफी क्षीण होता जा रहा था, जेल के डाक्टरों ने उनसे बातचीत करने के लिए मना कर दिया।

24 सितम्बर, 1932 को पुनः प्रातःकाल में विचार विमर्श प्रारंभ हुआ तथा यह किया गया कि विधानसभा में 148 आरक्षित सीटें तथा स्पृश्य हिन्दुओं की सीटों में से केन्द्रीय विधानमंडन की 10% सीटें अस्पृश्यों को दी जायँ। 'सर्वसम्मति' की समस्या पर पुनः घंटों चर्चा हुई लेकिन निर्णय नहीं हो सका। डा० सोलंकी और राजगोपालाचारी के साथ डा० अम्बेडकर गांधी जी ये मिलने गये। तब गांधीजी ने डा0 अम्बेडकर से आत्मीयता के साथ विनती की कि ''हिन्दू धर्म को अपने विगत पापों का प्रक्षालन करने के लिए एक बार मौका दिया जाय। अस्पृश्यों का सर्वमत पाँच वर्षों में लिया जाए यह कहकर उन्होंने निर्णायक आवाज में कहा, 'पाँच वर्षों के बाद सार्वमत लो, या अभी मेरे प्राण लो'।''[8] लम्बे विचार–विमर्श और काफी कशमकश के बाद यह निर्णय हुआ कि सर्वसम्मति की अवधि का नाम निर्देश के बिना ही समझौता किया जाए। यह बात गांधी जी को पसन्द आ गई, और सभी ने करतल ध्वनि के साथ इस पर सहमति दी। इसी दिन अर्थात् 24 सितम्बर, 1932 को ही दोनों पक्ष के नेताओं ने करार पर हस्ताक्षर किए। अस्पृश्य वर्ग की ओर से इस करार पर डा० अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किये। सवर्ण हिन्दुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किये। हस्ताक्षर करने वाले अन्य नेताओं में जयकर, सप्रू, बिड़ला, राजगोपालाचारी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री निवास, राजभोज, श्रीनिवासन, पी० बालू, गवई, ठक्करवापा, सोलंकी, आदि थे। राजगोपालाचारी इतने खुश हुए कि उन्होंने और डा० अम्बेडकर ने कलम की अदला–बदली की।

24 सितम्बर, 1932 को सम्पन्न हुआ यही करार आगे चलकर 'पुणे करार' (पूना पैक्ट) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस करार का मूल रूप निम्न प्रकार से थाः–

(1) प्राँतीय विधान सभाओं में सामान्य निर्वाचन सीटों में से दलित वर्गों के लिए सीटें सुरक्षित की जायेंगी जो निम्न प्रकार से होंगी।

मद्रास 30, बम्बई और सिन्धु मिलाकर 15, पजाब 8, बिहार एवं उड़ीसा 18, सेंट्रल प्रार्विस (मध्य प्रदेश) 20, आसाम 7 बंगाल 30, यू० पी० 20 योग 148 ये संख्यायें प्रांतीय कौंसिलों में कुल सीटों की संख्या पर आधारित थीं जिन्हें प्रधानमन्त्री ने अपने फैसले में घोषित किया था।

(2) इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया से किया जायेगा।दलित वर्गों के सभी सदस्य जिनके नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की सूची में रजिस्टर्ड होंगे एक निर्वाचन मंडल (Electoral college) बनायेगें जो प्रत्येक सुरक्षित सीट के लिये दलित वर्गों के चार अभ्यार्थियों का पैनल चुनेगी वह चुनाव पद्धति एकमतीय आधार पर होगी। ऐसे प्राथमिक चुनाव में जिन चार सदस्यों को सबसे अधिक मत मिलेगे वे सामान्य निर्वाचन के लिये अभ्यार्थी समझे जायेंगे।

(3) केन्द्रीय व्यवस्थापिका में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त पैरा दो के अनुसार होगा जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत पर होगा उन सुरक्षित सीटों का प्राथमिक निर्वाचन उपरोक्त पैरा (2) के अनुसार प्रांतीय विधान सभाओं की तरह होगा।

(4) भारत में ब्रिटिश केन्द्रीय व्यवस्थापिका में दलित वर्गों के लिये सुरक्षित सीटों की संख्या 18 प्रतिशत होगी और उनका चुनाव भी उपरोक्त पद्धति से होगा।

(5) अभ्यार्थियों के पैनल की प्राथमिक चुनाव व्यवस्था केन्द्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है प्रथम दस वर्ष के बाद समाप्त हो जायेगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर निम्नांकित पैरा 6 के अनुसार पहले भी इसे समाप्त किया जा सकता है।

(6) सुरक्षित सीटों के लिये प्रांतीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाओं में दलितों के लिये सीटों की प्रतिनिधित्व व्यवस्था जैसा कि ऊपर पैरा 1 और 4 में दी गयी है तब तक जारी रहेगी जब तक कि दोनों सम्बन्धित पक्षों के आपसी समझौते द्वारा उसे हटाने की बात नहीं तय हो जाती।

(7) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के चुनाव के लिए दलितों को मतदान की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसा लोथियन कमेटी की रिपोर्ट में इंगित किया गया है।

(8) दलित वर्गों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के चुनावों तथा सरकारी नौकरियों में अछूत होने के नाते अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दलितों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयत्न किये जायेंगे और सरकारी नौकरियों में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अन्तर्गत उनकी नियुक्ति की जायगी।

(9) सभी प्रांतों में शैक्षिक अनुदान से उन दलितों के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने के लिए समुचित धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।''[9]

इस करार के मुद्दों की जानकारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल को तार द्वारा प्रेषित की गई। बम्बई के इंडियन मर्चेट्स चेम्बर सभागार में एक सभा का आयोजन किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में मालवीय जी ने अस्पृश्यता के निर्मूलन की बात कही। तेज बहादुर सप्रू ने डा0 अम्बेडकर की प्रशंसा की और अपने लोगों के अधिकारों के लिए अम्बेडकर ने जो वीरतापूर्वक संघर्ष किया, उसके प्रति उन्होने उनका आभार व्यक्त किया और अम्बेडकर भविष्य काल में देश के एक तेजस्वी नेता बनेगें, ऐसी भविष्यवाणी की। 26 सितम्बर को ब्रिटिश लोकसभा ने पुणे करार को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।

इस संबंध में डा0 डी0आर0 जाटव ने लिखा है कि ''प्रथम पूना– पैक्ट ने सारे देश का ध्यानाकर्षित किया। इससे यह सिद्ध हो गया कि गाँधी, कांग्रेस तथा कट्टर सवर्ण हिन्दू जो अभी तक डा0 अम्बेडकर को दलित वर्गों का नेता

स्वीकार नहीं करते थे, अब उन्हें अछूतों का प्रतिष्ठित नेता माना और गाँधी जी के प्राण बचाने का श्रेय डा0 साहब को ही दिया। द्वितीय, दोनों पक्षों को कुछ न कुछ खोना पड़ा। 71 सीटों के बजाय सवर्ण हिन्दुओं को अछूतो के लिए 148 सीटें देनी पडी और उधर दलित वर्गो को अपने प्रतिनिधियों को अपने द्वारा चुने जाने का अवसर छोडना पड़ा। सवर्ण हिन्दू भी दलित प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देगें। तृतीय, जब कभी भी गाँधी जी में राजनीतिज्ञ की प्रेरणा जाग्रत हुई, उन्होंने सरल चीजों को जटिल बना दिया। यर्वदा जेल में गाँधी में राजनीतिज्ञ तो सफल हुआ, पर गाँधी में महात्मा का रूप असफल रहा। पूना–पैक्ट का चौथा परिणाम यह हुआ कि अछूतो की समस्या देशव्यापी स्तर पर ठोस ढंग से उभर कर आई। सवर्ण और हिन्दू नैतिक दृष्टि से छुआछूत मिटाने और अछूतों की प्रगति के द्वार खोलने के लिए मजबूर हो गए। इस प्रकार गाँधी जी ने न केवल कांग्रेस को बचाया, बल्कि हिन्दू धर्म तथा समाज को भी सदैव के लिए विघटित होने से बचा लिया जैसी कि उन्हे कम्यूनल अवार्ड से आशंका थी।"[10]

यरवदा करार (पूना पैक्ट) के बाद अनेक प्रदेशो की विधान सभाओं में, राजकीय संस्थानों में तथा प्रशासन के विभिन्न पदों में दलितों के प्रवेश में उदासीनता एवं उपेक्षा होने लगी तो डा0 अम्बेडकर ने इस समस्या का हल निकालने हेतु गाँधी जी से सम्पर्क किया तथा कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए आग्रह किया कि पूना–पैक्ट के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न सेवाओं में दलितों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय। इस पर गाँधी जी ने बडा निर्दय तथा तर्कहीन उत्तर दिया "डाक्टर", मैं तो कांग्रेस पार्टी का चार आने का भी सदस्य नहीं हूँ। भला मैं कांग्रेस को इस (दलित प्रतिनिधित्व) दिलाने के लिए कैसे उससे कह सकता हूँ।[11] इससे डा0 अम्बेडकर को गाँधी जी के विश्वासघात का पता चला तथा उनकों आश्चर्य हुआ कि गाँधी जी का सत्य के साथ प्रयोग एक झूठा नाटक है।

4 जुलाई, 1934 को सेवाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारत सरकार का संकल्प भी प्रकाशित कर दिया गया जिसमें दलितों के लिए इस प्रकार उपबन्ध किया गया था, "दलित वर्गो के सम्बन्ध में यह समान आधार है कि उन्हें सरकारी सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाए। इसके सम्बन्ध में सवर्ण हिन्दुओं की मंशा औपचारिक रूप से सन् 1932 के पूना समझौते में दी गई है और महामहिम की सरकार ने इसे स्वीकार करते समय इस मुद्दे पर अपेक्षित ध्यान दिया था। इन वर्गो में सामान्य शिक्षा की वर्तमान स्थिति में भारत सरकार का यह मानना है कि हिन्दुओं के लिए उपलब्ध कुल रिक्तियों में से एक निश्चित प्रतिशत इनके लिए आरक्षित करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नही होगा, लेकिन वे यह सुनिश्चित करने की आशा रखते है कि दलित वर्गो के योग्य उम्मीदवार को केवल इस आधार पर उपयुक्त अवसरों से वंचित न किया जाए, क्योंकि वे खुली प्रतियोगिता में सफल नही हो सकते।"[12]

इसी प्रकार दलितों को नीति–निर्माण एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिला। इस प्रकार दलितो को वाद–विवाद, विमर्श, समर्थन एवं प्रतिरोध के पश्चात् अन्ततः व्यवस्थापिकाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, इसके साथ ही सार्वभौमिक मताधिकार भी मिला, जो कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की प्रमुख शर्त हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर "पूना पैक्ट" (यरवदा करार) जगन्नाथ प्रसाद कुरील, (अनुवादक) (1988) समता साहित्य साहित्य प्रकाशन, लखनऊ, पृष्ठ 43–44।
2. के0 एल0 चंचरीक एवं डा0 धीर सिंह "भारतीय दलित आन्दोलन की रूपरेखा'', (2007), यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ– 158–159 पर गणेश मंत्री "गांधी और अम्बेडकर'', पृष्ठ 161 से उद्घृत
3. डा0 डी0 आर0 जाटव "डा0 अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व" (1988), समता साहित्य सदन, जयपुर, पृष्ठ 150।
4. धनंजय कीर, "डा0 अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन" (1981), पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, गजानन सुर्वे (अनुवादक) 'डॉ0 बाबा साहब आंबेडकर जीवन–चरित, (2006), पॉप्युलर प्रकाशन प्रा0 लि0, दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठ 203।
5. वही, पृष्ठ 204।
6. वही, पृष्ठ 204।
7. वही, पृष्ठ 205।
8. वही, पृष्ठ 206।
9. डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर "पूना पैक्ट" (यरवदा करार) जगन्नाथ प्रसाद कुरील, (अनुवादक) (1988) समता साहित्य साहित्य प्रकाशन, लखनऊ, पृष्ठ 72–74।
10. डा0 डी0 आर0 जाटव "डा0 अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व" (1988), समता साहित्य सदन, जयपुर, पृष्ठ 152–153।
11. शील प्रिय बौद्ध 'पूना पैक्टः क्यों, क्या और किसके लिए?' (2010), सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 122।
12. वही, पृष्ठ 124।